

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

पूर्णचन्द सोलकी बनाम भवंरलाल आदि
किस्म मुकदमा:-53,209 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:-45/2025 (GCMS No.2025/78)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2026	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी व पैरोकार राज उपस्थित। तहसीलदार सूरतगढ़ इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2026 की पालना में अपने पत्रांक 6460 दिनांक 24.02.2026 से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में वादी व गवाहों के हस्ताक्षर है। अन्य कोई विपरित टिप्पणी नहीं की है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादी-1 के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।</p> <p>1.पूर्णचंद सोलंकी पुत्र अशोक कुमार सोलंकी हिस्सा 1/2 हिस्सा जाति नाई साकिन पीपासर खातेदार की भूमि:-तहसील सूरतगढ़ की रोही कोनपालसर के खसरा संख्या 395 की 6.323 हैक्टर बारानी दोयम भूमि (प्रस्ताव में दर्शायी गहरी पीला रंग)।</p> <p>2.भवंरलाल पुत्र रामेश्वर 1/2 हिस्सा जाति सोनी साकिन सांवलसर खातेदार की भूमि:- तहसील सूरतगढ़ की रोही कोनपालसर के खसरा संख्या 395 की 6.323 हैक्टर बारानी दोयम भूमि (प्रस्ताव में दर्शायी काला रंग)।</p> <p>राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो संबंधित खातेदार के हिस्सा में यथावत् रहेगा। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्रांक 6460 दिनांक 24.02.2026 के संलग्न नक्शा दिनांक 12.02.2026 इस आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (जिला)
सूरतगढ़



(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री:-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(बइजलास :-भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

-:: अनवान :-

1. पूर्णचन्द सोलंकी पुत्र अशोक कुमार सोलंकी जाति नाई निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

-वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर जाति सोनी सुनार निवासी ग्राम सांवलसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 45 वर्ष 2025 (GCMS No. 2025/78) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादी-1 के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1. पूर्णचंद सोलंकी पुत्र अशोक कुमार सोलंकी हिस्सा 1/2 हिस्सा जाति नाई साकिन पीपासर खातेदार की भूमि:-तहसील सूरतगढ़ की रोही कोनपालसर के खसरा संख्या 395 की 6.323 हैक्टर बारानी दोयम भूमि (प्रस्ताव में दर्शायी गहरी पीला रंग)।

2. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर 1/2 हिस्सा जाति सोनी साकिन सांवलसर खातेदार की भूमि:- तहसील सूरतगढ़ की रोही कोनपालसर के खसरा संख्या 395 की 6.323 हैक्टर बारानी दोयम भूमि (प्रस्ताव में दर्शायी काला रंग)।

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार खाता विभाजन का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग-2 कायम हो। रहन को नोट यदि हो तो संबंधित खातेदार के हिस्सा में यथावत् रहेगा। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्रांक 6460 दिनांक 24.02.2026 के संलग्न नक्शा दिनांक 12.02.2026 इस आदेश का भाग रहेगा।

नोज.....x.....मुबलिंग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फर्दों की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15/05/2026 को जारी की गई।



(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)